न्यायालय उप जिला मजिस्ट्रेट पदेन सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट शाहपुरा जिला जयपुर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :– श्री नरेन्द्र कुमार मीना, आर ए एस

वाद संख्या :– 46/2017, पुनः दर्ज 63 /2020

उनवान

अमित कुमार यादव पुत्र श्री महिपाल यादव, जाति अहीर, निवासी 65/200 हीरापथ, मानसरोवर, जयपुर हालवासी ग्राम कलाखरी तह0 बुहाना जिला झुन्झूनू जरिये मुख्त्यारआम साधूराम यादव पुत्र मुरलीधर यादव निवासी बिदारा, तह0 शाहपुरा, जिला जयपुर (राज.)

वादी

बनाम

1. गणपत लाल पुत्र सुन्दरलाल, जाति जाट, निवासी शाहपुरा, तह0 शाहपुरा, जिला जयपुर (राज.)
2. श्रीमती झिमकी देवी पत्नी सीताराम
3. जीतू पुत्र सीताराम
4. राकेश पुत्र सीताराम
   जाति यादव निवासी रायपुर जागोर तह0 नीमकाथाना जिला सीकर
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर (राज.)

प्रतिवादीगण

दावा बाबत् बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत
दफा–53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम – 1955

निर्णय दिनांक :– 24.09.2020

करण संक्षेप में इस प्रकार है। ग्राम बिदारा तहसील शाहपुरा के आराजी संख्या नं. 815/2 रकबा हैं0, 815 रकबा 0.2315, 815/3 रकबा 0.2216, 815/4 रकबा 0.1543 है0, कुल किता– 04 रकबा 0.6173 ग्राम बिदारा तह0 शाहपुरा जिला जयपुर में स्थित है जिसके खातेदार वादी का हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 का हिस्सा 1/8 व प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 4 का 1/4 हिस्सा राजस्व रिकार्ड है। उपरोक्त वाद पत्र के मद सं0 1 में वर्णित आराजीयात को उसके पूर्व खातेदार प्रभू, रामनिवास डू व बाबूलाल पुत्र बालूराम का सम्पूर्ण 5/8 हिस्सा जरिये विक्रय पत्र दिनांक 20.04.2000 के क्रय था तथा उक्त आराजीयात के पूर्व खातेदारों का जहां मौके पर कब्जा था उसे वादी का विक्रय को मौके पर सम्भला दिया था जो आराजी खसरा नं0 816/1618 से लगता हुआ रकबा था उल्लेख रजिस्ट्री में किया गया है जिसे वादी मौके पर कब्जा कर आज दिनांक तक कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा अन्य प्रतिवादीगण का हिस्सा उत्तर की तरफ का है। वादी व प्रतिवादीगण के क्त आराजी का कानूनी बंटवारा नहीं हुआ है। प्रतिवादीगण वादी की भूमि में बाधा कारित कर रहे रन वादी को बेदखल करने पर अमादा है। इस कारण वाद पत्र पेश किया गया है। वादी के द्वारा पेश किये जाने पर विधिवत दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण की तलबी की गई।

में इस न्यायालय से दिनांक 10.11.2017 को प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार शाहपुरा से कुर्रेजात रिपोर्ट प्राप्त कि गई तथा मुताबिक बंटवारा रिपोर्ट दिनांक 01.12.2017 को दावा डिक्री गा। प्रतिवादीगण द्वारा उक्त आदेश दिनांक 01.12.2017 के विरूद्ध इस न्यायालय में दिनांक 19.01. प्रार्थना पत्र बाबत् मन्सुखी एक पक्षीय डिक्री अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सपठित धारा 151 श किया गया इस पर विधिवत सुनवाई किया जाकर दिनांक 19.09.2019 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला–जयपुर) राज.

आदेश 9 नियम 13 सपठित धारा 151 सीपीसी खारिज किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र के विरूद्ध माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी जयपुर के यहां अपील पेश की गई तथा पक्षकारों के द्वारा माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी जयपुर के यहां समझौता पत्र पेश किया गया, जिस पर माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारीजयपुर ने प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया कि प्रकरण में उभय पक्ष इस न्यायालय में दिनांक 24.9.20 को उपस्थित होवे तथा समझौता पत्र पर उभय पक्ष की सुनवाई कर तदानुसार निर्णय पारीत करें ।

पत्रावली माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी जयपुर से प्राप्त होने तथा उभय पक्ष ने उपस्थित होकर समझोते पत्र के अनुसार दावा डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया गया । हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा समझौते पत्र का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । समझौते पत्र के अनुसार विवादित आराजी मूल खसरा नम्बर 815 रकबा 0.62 है0 का समझौते पत्र के अनुसार निम्न अनुसार पेश किया गया ।

प्रतिवादी सं0 2 लगा0 4 के हिस्से में आई भूमि का विवरणः– जीतू, राकेश, पुत्रान श्री सीताराम, झीमकी पत्नी श्री सीताराम जाति अहीर, निवासी–रायपुरा जांगीर तहसील–नीमकाथाना जिला सीकर (राज.) को उक्त खसरा नं0 815 में एन.एच. से लगते हुये उत्तर–दक्षिण चौडाई में 22.5 मीटर एवं पूर्व–पश्चिम उत्तरी भुजा 84.4 मीटर, दक्षिणी भुजा 57.3 मीटर भूमि प्राप्त हुई है प्रथम पक्षकार को प्राप्त हुई उक्त भमि की चारो दिशाओं की सीमाएं पूर्व में सिद्धि विनायक ट्रांसपोर्ट नगर की भूमि पश्चिम में एन.एच. का सर्विस रोड, उत्तर में – तृतीय पक्षकार अमित कुमार के हिस्से में प्राप्त हुई भूमि दक्षिण में – द्वितीय पक्षकार गणपत के हिस्से में प्राप्त हुई भूमि स्थित है।

प्रतिवादी सं01 के हिस्से में आई भूमि का विवरण–गणपत लाल पुत्र श्री सुन्दरलाल जाति–जाट, निवासी–शाहपुरा तह0 शाहपुरा जिला – जयपुर (राज.) को उक्त खसरा नं0 815 में एन.एच. से लगते हुये उत्तर–दक्षिण चौडाई में 19.5 मीटर एवं पूर्व–पश्चिम उत्तरी भुजा 57.3 मीटर, दक्षिणी भुजा 26.2 मीटर भूमि प्राप्त हुई है द्वितीय पक्षकार को प्राप्त हुई उक्त भूमि की चारों दिशाओं की सीमाएं पूर्व में सिद्धि विनायक ट्रांसपोर्ट नगर की भूमि पश्चिम में एन.एच. का सर्विस रोड, उत्तर में प्रथम पक्षकार जीतू, राकेश एवं झिमकी के हिस्से में प्राप्त हुई भूमि दक्षिण में सिद्धि विनायक ट्रांसपोर्ट नगर की भूमि स्थित है।

वादी के हिस्से में आई भूमि का विवरण अमित कुमार यादव पुत्र श्री महिपाल यादव जाति–अहीर, निवासी 65/200 हीरापथ मानसरोवर, जयपुर जिला–जयपुर (राज.) को उपरोक्त प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार को प्राप्त हुई भूमि के बाद शेष बची सम्पूर्ण भूमि प्राप्त हुई है। तृतीय पक्षकार को प्राप्त हुई उक्त भूमि की चारों दिशाओं की सीमाएं पूर्व में सिद्धि विनायक ट्रांसपोर्ट नगर की भूमि पश्चिम में , एन. एच. का सर्विस रोड़, उत्तर में रोहिताश , भागीरथ यादव की भूमि दक्षिण में , प्रथम पक्षकार जीतू, राकेश पुत्रान श्री सीताराम, झीमकी पत्नी श्री सीताराम की भूमि स्थित है।

उपरोक्त राजीनामा/समझौते के अनुसार दावा डिक्री किये जाने हेतु पक्षकारान ने निवेदन करते हुए सहमति व्यक्त की तथा राजस्व रिकार्ड में समझौते अनुसार दावा डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया वादी की ओर से उनके आममुख्तयार साधुराम पुत्र मुरलीधर यादव निवासी बिदारा उपस्थित आये तथा प्रतिवादीगण स्वयं उपस्थित है उभयपक्ष ने समझौता/राजीनामा बिना किसी दबाव के करना स्वीकार किया।

अतः इस न्यायालय के आदेश दिनांक 1.12.2017 को निरस्त किया जाकर आराजी ख0नं0 815/2 रकबा 0.0099 है0 , 815 रकबा 0.2315 , 815/3 रकबा 0.2216 , 815/4 रकबा 0.1543 है0, कुल किता– 04 कुल रकबा 0.6173 ग्राम बिदारा तह0 शाहपुरा जिला जयपुर की भूमि का मुताबिक

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला–जयपुर) राज.

नामी/नक्शा अनुसार
ाजीनामा/समझौता, दावा डिक्री किया जाकर खातेदार के मध्य बंटवारा किया जाकर पृथक पृथक खातेदार
ोषित किया जाता है :–

प्रतिवादी सं0 2 लगा0 4 जीतू, राकेश, पुत्रान श्री सीताराम, झीमकी पत्नी श्री सीताराम जाति अहीर, ावासी–रायपुरा जांगीर तहसील–नीमकाथाना जिला सीकर (राज.) के हिस्से में आई भूमि का विवरण:– को क्त खसरा नं0 815 में एन.एच. से लगते हुये उत्तर–दक्षिण चौडाई में 22.5 मीटर एवं पूर्व–पश्चिम उत्तरी ुजा 84.4 मीटर, दक्षिणी भुजा 57.3 मीटर भूमि प्राप्त हुई है प्रथम पक्षकार को प्राप्त हुई उक्त भमि की ारो दिशाओं की सीमाएं पूर्व में सिद्धि विनायक ट्रांसपोर्ट नगर की भूमि पश्चिम में एन.एच. का सर्विस रोड, त्तर में – तृतीय पक्षकार अमित कुमार के हिस्से में प्राप्त हुई भूमि दक्षिण में – द्वितीय पक्षकार गणपत के स्से में प्राप्त हुई भूमि स्थित है।

प्रतिवादी सं01 गणपत लाल पुत्र श्री सुन्दरलाल जाति–जाट, निवासी–शाहपुरा तह0 शाहपुरा जिला जयपुर (राज.) के हिस्से में आई भूमि का विवरण– को उक्त खसरा नं0 815 में एन.एच. से लगते हुये त्तर–दक्षिण चौडाई में 19.5 मीटर एवं पूर्व–पश्चिम उत्तरी भुजा 57.3 मीटर, दक्षिणी भुजा 26.2 मीटर भूमि त हुई है द्वितीय पक्षकार को प्राप्त हुई उक्त भूमि की चारों दिशाओं की सीमाएं पूर्व में सिद्धि विनायक सपोर्ट नगर की भूमि पश्चिम में एन.एच. का सर्विस रोड, उत्तर में प्रथम पक्षकार जीतू, राकेश एवं झिमकी हिस्से में प्राप्त हुई भूमि दक्षिण में सिद्धि विनायक ट्रांसपोर्ट नगर की भूमि स्थित है।

वादी अमित कुमार यादव पुत्र श्री महिपाल यादव जाति–अहीर, निवासी 65/200 हीरापथ ानसरोवर, जयपुर जिला–जयपुर (राज.) के हिस्से में आई भूमि का विवरण उपरोक्त प्रथम पक्षकार एवं ीय पक्षकार को प्राप्त हुई भूमि के बाद शेष बची सम्पूर्ण भूमि प्राप्त हुई है। तृतीय पक्षकार को प्राप्त हुई त भूमि की चारों दिशाओं की सीमाएं पूर्व में सिद्धि विनायक ट्रांसपोर्ट नगर की भूमि पश्चिम में , एन. . का सर्विस रोड़, उत्तर में रोहिताश , भागीरथ यादव की भूमि दक्षिण में , प्रथम पक्षकार जीतू, राकेश न श्री सीताराम, झीमकी पत्नी श्री सीताराम की भूमि स्थित है।

राजीनामा निर्णय का जुज रहेग, तथा तहसीलदार शाहपुरा मुताबिक राजीनामा/समझौते के अनुसार ारान का हिस्सा दर्ज कर राजस्व रिकार्ड व नक्शा ट्रेस में अमल दरामद करें। तहसीलदार शाहपुरा पालनार्थ लिखा जावें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 24.09.2020 को सरे इजलास सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार होकर ाल दफ्तर हो।

यक कलक्टर (जिला–जयपुर) राज.

(नरेन्द्र कुमार मीना)
उप जिला मजिस्ट्रेट पदेन सहायक कलक्टर
एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
शाहपुरा जिला जयपुर

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला–जयपुर) राज.

प्रपत्र – 6

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उप जिला मजिस्ट्रेट पदेन सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट शाहपुरा जिला जयपुर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :– श्री नरेन्द्र कुमार मीना, आर ए एस

वाद संख्या :– 46/2017, पुनः दर्ज 13 /2020

उनवान

अमित कुमार यादव पुत्र श्री महिपाल यादव, जाति अहीर, निवासी 65/200 हीरापथ, मानसरोवर, जयपुर हालवासी ग्राम कलाखरी तह0 बुहाना जिला झुन्झूनू जरिये मुख्त्यारआम साधूराम यादव पुत्र मुरलीधर यादव निवासी बिदारा, तह0 शाहपुरा, जिला जयपुर (राज.)

वादी

बनाम

1. गणपत लाल पुत्र सुन्दरलाल, जाति जाट, निवासी शाहपुरा, तह0 शाहपुरा, जिला जयपुर (राज.)
2. श्रीमती झिमकी देवी पत्नी सीताराम
3. जीतू पुत्र सीताराम
4. राकेश पुत्र सीताराम
   जाति यादव निवासी रायपुर जागोर तह0 नीमकाथाना जिला सीकर
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर (राज.)

प्रतिवादीगण

दावा बाबत् बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत
दफा–53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम – 1955

आदेश दिनांक :– 24.09.2020

अतः इस न्यायालय के आदेश दिनांक 1.12.2017 को निरस्त किया जाकर आराजी ख0नं0 ‌/2 रकबा 0.0.099 है0, 815 रकबा 0.2315, 815/3 रकबा 0.2216, 815/4 रकबा 0.1543 है0, किता– 04 कुल रकबा 0.6173 ग्राम बिदारा तह0 शाहपुरा जिला जयपुर की भूमि का मुताबिक ीनामा/समझौता नजरी नक्शा के मुताबिक दावा डिक्री किया जाकर खातेदार के मध्य बंटवारा किया जाकर पृथक पृथक खातेदार षेत किया जाता है :–

प्रतिवादी सं0 2 लगा0 4 जीतू, राकेश, पुत्रान श्री सीताराम, झीमकी पत्नी श्री सीताराम जाति अहीर, ासी–रायपुरा जांगीर तहसील–नीमकाथाना जिला सीकर (राज.) के हिस्से में आई भूमि का विवरणः– को त खसरा नं0 815 में एन.एच. से लगते हुये उत्तर–दक्षिण चौडाई में 22.5 मीटर एवं पूर्व–पश्चिम उत्तरी ा 84.4 मीटर, दक्षिणी भुजा 57.3 मीटर भूमि प्राप्त हुई है प्रथम पक्षकार को प्राप्त हुई उक्त भमि की ो दिशाओं की सीमाएं पूर्व में सिद्धि विनायक ट्रांसपोर्ट नगर की भूमि पश्चिम में एन.एच. का सर्विस रोड, ार में – तृतीय पक्षकार अमित कुमार के हिस्से में प्राप्त हुई भूमि दक्षिण में – द्वितीय पक्षकार गणपत के से में प्राप्त हुई भूमि स्थित है।

प्रतिवादी सं01 गणपत लाल पुत्र श्री सुन्दरलाल जाति–जाट, निवासी–शाहपुरा तह0 शाहपुरा जिला जयपुर (राज.) के हिस्से में आई भूमि का विवरण– को उक्त खसरा नं0 815 में एन.एच. से लगते हुये ार–दक्षिण चौडाई में 19.5 मीटर एवं पूर्व–पश्चिम उत्तरी भुजा 57.3 मीटर, दक्षिणी भुजा 26.2 मीटर भूमि ा हुई है द्वितीय पक्षकार को प्राप्त हुई उक्त भूमि की चारों दिशाओं की सीमाएं पूर्व में सिद्धि विनायक

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला–जयपुर) राज.

सपोर्ट नगर की भूमि पश्चिम में एन.एच. का सर्विस रोड, उत्तर में प्रथम पक्षकार जीतू, राकेश एवं झिमकी के हिस्से में प्राप्त हुई भूमि दक्षिण में सिद्धि विनायक ट्रांसपोर्ट नगर की भूमि स्थित है।

वादी अमित कुमार यादव पुत्र श्री महिपाल यादव जाति–अहीर, निवासी 65/200 वीटी रोड मानसरोवर, जयपुर जिला–जयपुर (राज.) के हिस्से में आई भूमि का विवरण उपरोक्त प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार को प्राप्त हुई भूमि के बाद शेष बची सम्पूर्ण भूमि प्राप्त हुई है। तृतीय पक्षकार को प्राप्त हुई उक्त भूमि की चारों दिशाओं की सीमाएं पूर्व में सिद्धि विनायक ट्रांसपोर्ट नगर की भूमि पश्चिम में , एन. एच. का सर्विस रोड, उत्तर में रोहिताश , भागीरथ यादव की भूमि दक्षिण में , प्रथम पक्षकार जीतू, राकेश पुत्रान श्री सीताराम, झीमकी पत्नी श्री सीताराम की भूमि स्थित है।

राजीनामा निर्णय का जुज रहेगा, तथा तहसीलदार शाहपुरा मुताबिक राजीनामा/समझौते के अनुसार खातेदारान का हिस्सा दर्ज कर राजस्व रिकार्ड व नक्शा ट्रेस में अमल दरामद करें। तहसीलदार शाहपुरा को पालनार्थ लिखा जावें।

आज तारीख 24.09.2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की गई ।

न्यायालय सहायक कलक्टर शाहपुरा (जिला–जयपुर) राज.

(नरेन्द्र कुमार मीना)
उप जिला मजिस्ट्रेट पदेन सहायक कलक्टर
~~सहायक कलक्टर~~
एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
~~शाहपुरा (जिला–जयपुर) राज.~~
शाहपुरा जिला जयपुर

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
वाद पत्र के लिए स्टाम्प शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प प्रदर्शों के लिए स्टाम्प .... रुपये पर प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह – व्यय कमिश्नर की फीस आदेशिका की तामिल	/	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	/
		जोड़	